

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्क अहकाम

सुनं 25/17 तारीख नं 24.5.17

उमवान - धगबाई वनाग निष्ठासिंह  
 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट  
 के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा  
 212 Pt A के पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ  
 शपथ पत्र व जागा बन्दी का आवणो कन किया  
 गया। प्रार्थना पत्र वर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी  
 गणों को जोरिस के जरिये तलब कर दिनांक  
 5.6.17 को पेश हो।

1035.41  
 24.5.17

  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (कौली)

5.6.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी नं. 1 का. 6 की ओर से  
 श्री सुरेश चंद शर्मा AdN ने कालांतरात पेश किया।  
 जब प्रेश किया। जब की मजल प्रार्थी वकील ने प्राप्त  
 की। प्रार्थना पत्र नं. 9 पर कए सुनी गयी प्रार्थना पत्र अस्थायी  
 निषेधाज्ञा लागू न रहानि किया जाता है। विस्तृत निष्पत्ति  
 पृथक से लिखा जाऊँगा। सामिल किया गया। पत्रावली  
 फिलहाल शुभा होकर नंबर सेक्रे होकर दाया पत्रावली  
 के साथ संलग्न रहे।

